

83  
29/5/18

2018/00122

प्रपत्र-8

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प सुराणा  
"न्याय आपके द्वार-2018"

202  
29-5-18

**आदेश**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सुराणा व भू.अ.नि. वेणुलालाजी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शीघरा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा व जिला जयपुर की जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में खाता संख्या 444 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	सुराणा	444	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुराणा	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुराणा केस 2071-74

(पीठासीन अधिकारी)  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,  
शाहपुरा (जयपुर)

दिनांक :- 29/5/18

क्रमांक :- 203

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार शीघरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सुराणा को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली।

(पीठासीन अधिकारी)  
उप खण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,  
शाहपुरा (जयपुर)